न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0— 88 सन् 2019

सुधीर कुमार सिंह व अन्य........वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमनंदा देवी व अन्य..........प्रतिवादीगण।

दिनांक—19.04.2021

वादी अनुपस्थित है। वादी उचित पैरवी करें। विगत तिथि को वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं को उनकी ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 23.01.2020 पर सुना। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता में कथन है कि वाद के दरमयान प्रतिवादी सं0 9 जितेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा कुछ जमीन बेंच दिया गया है। जिनके संबंध में वादपत्र में प्रदर्श मकान तथा उसके केता व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए इस वादपत्र में लिखित बातों का वादपत्र में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 5, 6 एवं 9 दिनांक 17.02.2020 को हाजिर हुए हैं उनके द्वारा उपर्युक्त संशोधन आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद के अवलोकन से विदित है कि अभी प्रस्तुत वाद में सभी प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं हुए हैं। कुछ प्रतिवादीगण की उपस्थिति शेष है। अभी वाद प्रारंभिक चरण में है और विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को मोबलिक 500/— रूपया खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा कर समय सीमा के भीतर वादपत्र में संशोधन करें।

वाद दिनांक 03.05.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।